निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 14 वर्ष 2020-21

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून, उत्तराखंड** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून, उत्तराखंड** के माह **अप्रैल 2019 से मार्च 2020** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री प्रवीर घोष, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पंकज कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 30.07.2020 से 14.08.2020 तक श्री एस. के. त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

(ii) **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा माह 04/2018 से माह 03/2019 तक की लेखापरीक्षा श्री एस. एस. दरियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्रीमति रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री आशीष पाण्डे, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री आर. एस. नेगी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में दिनांक 23.10.2019 से 06.11.2019 तक की गयी थी।

(iii) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:**

संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून, उत्तराखंड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत देहरादून क्षेत्र के वाहनों के परमिट, लाईसेंस, पंजीकरण, प्रवर्तन, PUC इत्यादि हेतु उत्तरदायी हैं।

(iv) बजट

(अ) लेखा परीक्षा अवधि में योजनावार बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		मुख्य लेखाशीर्ष	स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य	बचत	टिप्पणी
	स्थापना	गैर स्थापना		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय			
2017-18	-	-		-	-	430.28	422.95		**7.33**	
2018-19	-	-		-	-	415.30	414.90		0.4	
2019-20	-	-		-	-	37.90	33.33		4.56	

(v) विगत तीन वर्षों में अर्जित राजस्व का ब्योरा निमन्वत है:

वित्तीय वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ में)
2017-18	19269.75
2018-19	21494.35
2019-20	22917.71

(vi) इकाई को बजट आवंटन केंद्र एव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "**A**" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड

⬇

परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग

⬇

संभागीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग

⬇

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग

(vii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून, उत्तराखंड** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून, उत्तराखंड** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखापरीक्षा द्वारा व्यय विवरण के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह **जून 2019** एवं सर्वाधिक राजस्व वाले माह **अक्टूबर 2019** को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया।

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर 1 : डीलरों के द्वारा कब्जे में रखे गए वाहनों पर ₹ 68.95 लाख का कर जमा न किया जाना ।

उत्तराखंड शासन, परिवहन अनुभाग-1 संख्या 06/ix-1/106/2012/2019 देहरादून दिनांक 02 जनवरी 2019 अधिसूचना, मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम 2003 (उत्तराखंड अधिनियम संख्या - 12 वर्ष 2003) की धारा 4 उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखंड राज्य में डीलर के कब्जे में विक्रय के प्रयोजनार्थ रखे गए मोटरयान के (i) दुपहिया वाहन पर ₹ 100/- तथा हल्का मोटर यान पर ₹ 200/- का कर वार्षिक दर प्रति वाहन देय होगा। कर का निर्धारण एवं भुगतान गत कैलेंडर वर्ष में विक्रय की गई वाहनों की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून के वर्ष 2019-20 के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि कार्यालय के अंतर्गत वर्ष 2019 में संलग्न सूची के अनुसार डीलरों के द्वारा वाहनों की बिक्री की गई थी। उक्त वाहनों की बिक्री पर नियमानुसार (संलग्न सूची के अनुसार) ₹ 6895200/- का कर दिनांक 15 जनवरी 2020 तक जमा किया जाना था जोकि लेखा परीक्षा तिथि (अगस्त 2020) तक जमा नहीं किया गया, जिस पर नियमानुसार शास्ति भी, जमा करने की तिथि तक, आरोपनीय होगी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन याचिका संख्या 1093/एमएस/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है कि उक्त वाद के निर्णय तक मोटर यान अधिनियम की धारा 4 की उप धारा 4 के अंतर्गत उदग्रहित मोटर वाहन कर को पृथक खाता में जमा किया जाएगा। कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून में उक्त हेतु कोई पृथक खाता ना होने के कारण कार्यालय द्वारा पत्र संख्या 1176/सा.प्रा./2019 दिनांक 20.05.2019, 1451/सा.प्रा./2019 दिनांक 17.06.2019 एवं 32/सा.प्रा./सतर्कता/2020 दिनांक 06.01.2020 द्वारा अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखंड महोदय को उक्त के संबंध में दिशा-निर्देश प्रदान करने हेतु अनुरोध किया था जिसके अभाव में उक्त कर जमा नहीं किया जा सका।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि माननीय न्यायालय द्वारा कर जमा करने पर रोक नहीं लगाई गयी है। सिर्फ पृथक खाते में उक्त कर जमा करने के लिए निर्देशित किया गया था।

इस प्रकार विभाग द्वारा कलेंडर वर्ष 2020 के लिए डीलरों के कब्जे में रखे गए वाहनों पर ₹ 6895200/- का मोटरयान कर डीलरों द्वारा जमा नहीं करवाया गया।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-1 : मैक्सी कैब पर लंबित बकाया कर ₹ 15.54 लाख की वसूली न किया जाना ।

उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (यथा संशोधित) जनवरी 2019 की धारा 4(2) के अनुसार, किसी माल वाहन, निर्माण उपस्कर यानों, विशेष रूप से डीजाइन किए गए यान, मोटर कैब (दुपहिया, तीन पहिया मोटरकैब से भिन्न) और मैक्सी कैब का उपयोग उत्तराखंड में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे यान के संबंध में ऐसी दर पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उस वाहन के संबंध में तिमाही कर का भुगतान न कर दिया गया हो। इस उपधारा के अधीन तिमाही कर के बजाय ऐसी दर पर वार्षिक कर जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, भुगतान किया जा सकेगा। धारा 9 के अनुसार, धारा 4 की उप धारा 2 के अधीन संदेय कर, मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण के समय मोटर कैब और मैक्सी कैब के लिए कैलेंडर माह के लिए अग्रिम में और अन्य के लिए 1 वर्ष के लिए अग्रिम में और तत्पश्चात यथास्थिति प्रत्येक अगले अनुवर्ती तिमाही के प्रथम कैलेंडर माह के 15 तारीख को या उसके पूर्व या अगले अनुवर्ती वर्ष के प्रथम कैलेंडर माह की 15 तारीख को या उसके पूर्व संदेय होगा। धारा 20 की उप धारा 1 व 3 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम के अधीन देय मोटर वाहन कर या शास्ति का बकाया भू-राजस्व बकाए की भांति वसूलीय होगा। कराधान अधिकारी प्रत्येक वर्ष के कर और शास्ति के बकायों के लिए यथास्थिति स्वामी या प्रचालक से यथा विहित प्रपत्र में मांग करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों के कर या शास्ति, यदि कोई हो, सम्मिलित होंगे। धारा 9 की उपधारा 3 के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कर का भुगतान न किए जाने की स्थिति में देयकर के अतिरिक्त देय धनराशि से अनधिक शास्ति देय होगी जिसके लिए स्वामी और संचालक संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक देनदार होंगे। उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली 2003 (यथा संशोधित) की धारा 24 में शास्ति के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि यदि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी मोटरयान के संबंध में कर का भुगतान नहीं किया जाता है, वहाँ प्रतिमाह देयकर के 5% की दर से शास्ति अथवा उसका आंशिक भाग संदेय होगा।

उत्तराखंड शासन, परिवहन अनुभाग-1 संख्या-03/ix-1/106/2012/2019 दिनांक 02 जनवरी 2019 अधिसूचना, मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम 2013 (उत्तराखंड अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2003) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके के क्रं. सं. - 1(क) के प्रावधानों के अनुसार Maxi कैब के मासिक कर की दर ₹ 200/- निर्धारित की गयी है।

कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून के Maxi कैब से संबन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि कुल 93 Maxi कैब का मोटरयान कर दिनांक 31.03.2020 तक ₹

1553800/- जमा नहीं किया गया है (सूची संलग्न) जिन पर नियमानुसार अर्थदण्ड भी आरोपित होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि संलग्न सूची के वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किए जाएंगे तथा कर उद्ग्रहीत कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-2 : Taxi (मोटर कैब) पर लंबित बकाया कर ₹ 14.96 लाख की वसूली न किया जाना ।

उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (यथा संशोधित) जनवरी 2019 की धारा 4(2) के अनुसार, किसी माल वाहन, निर्माण उपस्कर यानों, विशेष रूप से डीजाइन किए गए यान, मोटर कैब (दुपहिया, तीन पहिया मोटरकैब से भिन्न) और मैक्सी कैब का उपयोग उत्तराखंड में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे यान के संबंध में ऐसी दर पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उस वाहन के संबंध में तिमाही कर का भुगतान न कर दिया गया हो। इस उपधारा के अधीन तिमाही कर के बजाय ऐसी दर पर वार्षिक कर जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, भुगतान किया जा सकेगा। धारा 9 के अनुसार, धारा 4 की उप धारा 2 के अधीन संदेय कर, मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण के समय मोटर कैब और मैक्सी कैब के लिए कैलेंडर माह के लिए अग्रिम में और अन्य के लिए 1 वर्ष के लिए अग्रिम में और तत्पश्चात यथास्थिति प्रत्येक अगले अनुवर्ती तिमाही के प्रथम कैलेंडर माह के 15 तारीख को या उसके पूर्व या अगले अनुवर्ती वर्ष के प्रथम कैलेंडर माह की 15 तारीख को या उसके पूर्व संदेय होगा। धारा 20 की उप धारा 1 व 3 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम के अधीन देय मोटर वाहन कर या शास्ति का बकाया भू-राजस्व बकाए की भांति वसूलीय होगा। कराधान अधिकारी प्रत्येक वर्ष के कर और शास्ति के बकायों के लिए यथास्थिति स्वामी या प्रचालक से यथा विहित प्रपत्र में मांग करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों के कर या शास्ति, यदि कोई हो, सम्मिलित होंगे। धारा 9 की उपधारा 3 के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कर का भुगतान न किए जाने की स्थिति में देयकर के अतिरिक्त देय धनराशि से अनधिक शास्ति देय होगी जिसके लिए स्वामी और संचालक संयुक्त रूप से और प्रथक-प्रथक देनदार होंगे। उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली 2003 (यथा संशोधित) की धारा 24 में शास्ति के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि यदि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी मोटरयान के संबंध में कर का भुगतान नहीं किया जाता है, वहाँ प्रतिमाह देयकर के 5% की दर से शास्ति अथवा उसका आंशिक भाग संदेय होगा।

उत्तराखंड शासन, परिवहन अनुभाग-1 संख्या-03/ix-1/106/2012/2019 देहरादून दिनांक 02 जनवरी 2019 अधिसूचना, मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम 2013 (उत्तराखंड अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2003) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके के क्रं. सं. - 1(क) के प्रावधानों के अनुसार Taxi (मोटर कैब) के मासिक कर की दर ₹ 200/- निर्धारित की गयी है।

कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून के Maxi कैब से संबन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि कुल 164 Taxi (मोटर कैब)का मोटरयान कर दिनांक 31.03.2020 तक ₹

1496000/- जमा नहीं किया गया है (सूची संलग्न) जिन पर नियमानुसार अर्थदण्ड भी आरोपित होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि संलग्न सूची के वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किए जाएंगे तथा कर उद्ग्रहीत कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-3 : माल वाहनों के बकाया कर धनराशि ₹ 12.83 लाख की लंबित वसूली ।

उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (यथा संशोधित) जनवरी 2019 की धारा 4(2) के अनुसार, किसी माल वाहन, निर्माण उपस्कर यानों, विशेष रूप से डीजाइन किए गए यान, मोटर कैब (दुपहिया, तीन पहिया मोटरकैब से भिन्न) और मैक्सी कैब का उपयोग उत्तराखंड में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे यान के संबंध में ऐसी दर पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उस वाहन के संबंध में तिमाही कर का भुगतान न कर दिया गया हो। इस उपधारा के अधीन तिमाही कर के बजाय ऐसी दर पर वार्षिक कर जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, भुगतान किया जा सकेगा। धारा 9 के अनुसार, धारा 4 की उप धारा 2 के अधीन संदेय कर, मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण के समय मोटर कैब और मैक्सी कैब के लिए कैलेंडर माह के लिए अग्रिम में और अन्य के लिए 1 वर्ष के लिए अग्रिम में और तत्पश्चात यथास्थिति प्रत्येक अगले अनुवर्ती तिमाही के प्रथम कैलेंडर माह के 15 तारीख को या उसके पूर्व या अगले अनुवर्ती वर्ष के प्रथम कैलेंडर माह की 15 तारीख को या उसके पूर्व संदेय होगा। धारा 20 की उप धारा 1 व 3 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम के अधीन देय मोटर वाहन कर या शास्ति का बकाया भू-राजस्व बकाए की भांति वसूलीय होगा। कराधान अधिकारी प्रत्येक वर्ष के कर और शास्ति के बकायों के लिए यथास्थिति स्वामी या प्रचालक से यथा विहित प्रपत्र में मांग करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों के कर या शास्ति, यदि कोई हो, सम्मिलित होंगे। धारा 9 की उपधारा 3 के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कर का भुगतान न किए जाने की स्थिति में देयकर के अतिरिक्त देय धनराशि से अनधिक शास्ति देय होगी जिसके लिए स्वामी और संचालक संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक देनदार होंगे। उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली 2003 (यथा संशोधित) की धारा 24 में शास्ति के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि यदि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी मोटरयान के संबंध में कर का भुगतान नहीं किया जाता है, वहाँ प्रतिमाह देयकर के 5% की दर से शास्ति अथवा उसका आंशिक भाग संदेय होगा।

उत्तराखंड शासन, परिवहन अनुभाग-1 की संख्या - 03/ix/106/2012/2019 दिनांक 02 जनवरी 2019 द्वारा मालयान जिनका सकल यान भार 3000 किलोग्राम से अधिक है, सकल यान भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिए कर की त्रैमासिक दर ₹ 270/- व वार्षिक दर ₹ 1000/- नियत की गई थी। कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 76 मालवाहनों जिनका सकल यान भार (GVW) 3000 किलोग्राम से अधिक था, का मार्च 2020 तक का ₹ 12.83 लाख का कर (विवरण संलग्न) संबंधितों द्वारा जमा नहीं कराया गया

था, अर्थात ₹ 12.83 लाख कर के रूप में अप्राप्त थे। उक्त के अतिरिक्त इन वाहनों पर नियमानुसार (5% मासिक की दर से) शास्ति भी आरोपनीय थी।

उक्त के संबंध में इंगित की जाने पर इकाई द्वारा नियमानुसार कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर का विवरण	
		भाग –II (अ)	भाग –II (ब)
1	73/2001-02	3	5
2	51/2002-03	शून्य	3
3	132/2005-06	1,2,3,4	1,2
4	07/2006-07	1,2,3,4	शून्य
5	12/2008-09	1,2,3	1
6	09/2009-10	1	1
7	15/2010-11	1,2	शून्य
8	05/2012-13	1,2,3	शून्य
9	27/2013-14	शून्य	1,2
10	41/2015-16	1	1,2,3,4,5
11	63/2016-17	शून्य	1,2
12	66/2018-19	शून्य	1,2,3,4
13	88/2019-20	शून्य	1,2,3,4,5,6

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा बताया गया कि अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारी की संस्तुति के साथ यथाशीघ्र प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहरादून के कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून, उत्तराखंड** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः **शून्य**

2. सतत् अनियमितताएः **शून्य**

वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

<u>क्र.सं.</u>	**<u>नाम</u>**	**<u>पदनाम</u>**	**<u>अवधि</u>**
i.	**श्री दिनेश चंद पठोई**	**संभागीय परिवहन अधिकारी**	**01.04.2019 से 31.03.2020**

3. वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया:

<u>क्र.सं.</u>	**<u>नाम</u>**	**<u>पदनाम</u>**	**<u>अवधि</u>**
i.	**श्री अरविंद पांडे**	**सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी**	
ii.	**श्री द्वारिका प्रसाद**	**सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी**	

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून, उत्तराखंड** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार, ए.एम.जी.-II(Non PSU), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-2481095** को प्रेषित किया जाए।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी/
AMG-II (Non-PSU)